न्यायालय : सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

कमांक / 482 / 2025 बुरहानपुर, दिनांक : 08.05.2025

:: आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष 2025 ::

मैं सरिता जतारिया, **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**, जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेगण के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए, बी.एन.एस.एस. की धारा 12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नानुसार नवीन **आपराधिक कार्य–विभाजन** आदेश जारी करती हूं, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा–

1	2	3	4
1.	**सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर**	**1. आरक्षी केन्द्र 1. कोतवाली 2. लालबाग 3. शाहपुर 4. जी.आर.पी. तथा आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर, बुरहानपुर के आरक्षी केन्द्र कोतवाली, लालबाग व शाहपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त मामले।**	**1.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, लालबाग, शाहपुर, जी.आर.पी., बुरहानपुर तथा आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर, बुरहानपुर), के **आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, लालबाग, शाहपुर तथा उनकी चौकियों** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त मामलों का निराकरण। **2.** तहसील **बुरहानपुर** के क्षेत्रांतर्गत आरक्षी केन्द्र निंबोला के ग्रामों व उनकी चौकी एवं अन्य विभागों द्वारा **विभिन्न अधिनियमों** के अंतर्गत प्रस्तुत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना एवं उससे संबंधित परिवाद, विलोपन एवं अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तथा क्लोजर रिपोर्ट का निराकरण करना **(ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमें ग्राम न्यायालय शामिल है, को है)** **3.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **एवं आरक्षी केन्द्र निम्बोला** क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील **बुरहानपुर** क्षेत्र में समाहित है, क्षेत्रो के अंतर्गत धारा 196 बी.एन.एस.एस. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।
		2. संपूर्ण बुरहानपुर जिला	**4.** नगर पालिका निगम, बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका निगम द्वारा प्रस्तुत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।**

1	2	3	4
			4. आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर, जिला बुरहानपुर) के समस्त दाण्डिक प्रकरण। **5.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बुरहानपुर, लालबाग, शाहपुर, जी.आर.पी., आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर के थाना कोतवाली, शाहपुर व लालबाग) तथा उनकी चौकियों से उत्पन्न होने वाले तथा **आबकारी वृत्त उत्तर, जिला बुरहानपुर** से उत्पन्न होने वाले समस्त आबकारी प्रकरण, (जिनमें जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक हो तथा धारा 49(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण तथा उक्त अधिनियम की धारा 34(1–क), 36 बाबत् समस्त समरी, जो कॉलम नंबर 03, कमांक 05 में उल्लेखित थाने से उद्भूत हुये प्रकरण।) **6.** सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र, **आरक्षी केन्द्र निम्बोला** क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील **बुरहानपुर** क्षेत्र में समाहित है, क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **8.** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक परिवाद संपूर्ण बुरहानपुर जिले का ग्रहण कर निराकरण करना (विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र, **आरक्षी केन्द्र निम्बोला** क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील **बुरहानपुर** क्षेत्र में समाहित है, में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **10.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, लालबाग, शाहपुर, जी.आर.पी., आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर), **आरक्षी केन्द्र निम्बोला** क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील **बुरहानपुर** क्षेत्र में समाहित है, (आरक्षी केन्द्र नेपानगर, निम्बोला को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से

1	2	3	4
			संबंधित प्रकरण। **11.** बी.एन.एस.एस. की धारा 361 एवं 364 के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण। **12.** सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगाये जाने का कार्य। **13.** आरक्षी केन्द्र **कोतवाली**, जिला बुरहानपुर की परिसीमाओं से उत्पन्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के समस्त प्रकरण। **14.** बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत ग्राम न्यायालयों द्वारा दाण्डिक प्रकरणों में किये गये विनिश्चियन् के विरुद्ध ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकायें। **15.** अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर एवं अनुपस्थिति की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकार के स्वीकारोक्ति योग्य संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों को अपने न्यायालय में दर्ज कर, निराकरण करना एवं आवश्यक आपराधिक कार्य का निष्पादन कराना एवं चालान लेकर संबंधित न्यायालय को भेजना। **16.** सिविल जिला बुरहानपुर के न्यायालय की ओर से प्रेषित परिवाद का विचारण करना। **17.** सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों के मामलो के **खारिजी प्रतिवेदन** तथा थाना सिटी कोतवाली, लालबाग, शाहपुर, जी. आर.पी., आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर), **आरक्षी केन्द्र निम्बोला** क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील **बुरहानपुर** क्षेत्र में समाहित है, द्वारा प्रस्तुत **खात्मा प्रतिवेदन** पर विचार कर निराकरण करना। **18.** माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर एवं माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करना। **19**. **धारा 343 बी.एन.एस.एस** के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। **20. श्रम विभाग एवं कारखाना अधिनियम** द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। **21.** केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। **22.** मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।

1	2	3	4
			23. औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। (कंडिका क्र.10 से 15 में जो अधिनियम उल्लेखित किये गये हैं, उनसे संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य हो, सुने जायेंगे) **24.** ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है।
2.	**श्रीमती शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर**	**आरक्षी केन्द्र** **1. गणपतिनाका तथा उसके क्षेत्राधिकार में उदभूत आबकारी विभाग के सभी प्रकरण।** **2. वन विभाग, जिला बुरहानपुर**	**1.** थाना **गणपतिनाका** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** क्षेत्र के धारा 196 बी.एन.एस.एस. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी. जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों का विचारण करना। **6.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं तहसील नेपानगर के ग्राम निम्बोला के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) समस्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में उद्भुत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, जो कि **माह मई, जून, जुलाई 2025** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण करना। **7.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) शेष आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण यह कार्य विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह मई, जून व जुलाई 2025 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।

1	2	3	4
			8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **11.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **12.** जिला बुरहानपुर में स्थित वन अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण। **13.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। **14. सप्ताह में एक दिन बाल न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगी।**
3.	**श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर**	**आरक्षी केन्द्रः–** **1. शिकारपुरा तथा उसके क्षेत्राधिकार में उद्‌भूत आबकारी विभाग के सभी प्रकरण।**	**1.** आरक्षी केन्द्र **शिकारपुरा** द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत धारा 196 बी.एन.एस.एस. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी. जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।

1	2	3	4
			4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। **5.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम की धारा 113/114, 115/194(1), 114/194(2) के अंतर्गत ओव्हर-लोडिंग से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। **6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरणों का विचारण करना। **8.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्‌भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **<u>अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2025</u>** तक की अवधि में प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना। **9.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) शेष आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण <u>यह कार्य विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह **अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2025**</u> तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। **10.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण। **11.** उपरोक्त आरक्षी से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **12.** थाना शिकारपुरा, बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **13.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :- अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945

1	2	3	4
			ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम
4.	**श्री भारत सिंह भँवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बुरहानपुर**	**आरक्षी केन्द्रः– 1. निम्बोला (तहसील बुरहानपुर के क्षेत्रांतर्गत ग्रामों के संबंध में) 2. खकनार तथा उनके क्षेत्राधिकार में उद्‌भूत आबकारी विभाग के सभी प्रकरण।**	**1.** थाना **निंबोला(तहसील बुरहानपुर के क्षेत्रांतर्गत ग्रामों के संबंध में) व खकनार** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **निंबोला व खकनार** क्षेत्रों के धारा 196 बी.एन.एस.एस. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरणों का विचारण करना तथा आबकारी वृत्त उत्तर के आरक्षी केन्द्रों खकनार व निंबोला के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरणों का विचारण करना **6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्‌भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत माह **नवम्बर, दिसम्बर व जनवरी में उद्‌भूत प्रकरणों का निराकरण करना** **7. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) शेष आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण यह कार्य**

1	2	3	4
			<u>विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह नवम्बर, दिसम्बर व जनवरी</u> तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **9.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **11.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम
5.	**श्री रवि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर**	**आरक्षी केन्द्रः–** **1. नेपानगर व 2. थाना निंबोला के (तहसील नेपानगर के अंतर्गत क्षेत्रों के संबंध में उद्भूत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकरण योग्य समस्त प्रकरण।) 3. आबकारी वृत्त दक्षिण, बुरहानपुर के**	**1.** थाना **<u>नेपानगर व थाना निंबोला(तहसील नेपानगर के क्षेत्रांतर्गत)</u>** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **नेपानगर व निंबोला** क्षेत्र के धारा 196 बी.एन.एस.एस. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी. जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** जिला बुरहानपुर के थाना नेपानगर एवं निम्बोला सहित शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के माह **<u>फरवरी, मार्च व अप्रेल</u>** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण करना।

1	2	3	4
		क्षेत्राधिकार में उत्पन्न आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।	**7.** जिला बुरहानपुर थाना नेपानगर एवं निम्बोला सहित शेष आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण यह कार्य विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह **फरवरी, मार्च व अप्रेल** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों का विचारण करना। **10.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **11.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **12.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **13.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कारमेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम
6.	**श्रीमती रीना पिपलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर**	–	**1. मातृत्व अवकाश पर होने से, अवकाश पश्चात् कर्तव्य पर उपस्थित होने पर पृथक आदेश जारी किया जावेगा।**

सामान्य आदेश :–

1. इस कार्य विभाजन पत्रक का किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस आदेश के निर्वचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जाये।
4. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों में समान रुप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी के कार्य सहित सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्रों का भी निराकरण करेंगे।

नोट :–1. किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका क्र. 5, 6, 7 में उल्लेखित कार्य माने जायेंगे।

5. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा एवं धारा 183 बी.एन.एस.एस. के आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता हैं।

6. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमार अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थि हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उन्हें पुनः आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।

7. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हों, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

8. **महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय नहीं है, संबंधित थाना क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान/अन्य कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी।**

9. **संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में प्रत्येक 02 माह में कम से कम एक बार चलित न्यायालय लगायेंगे।**

10. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

11. वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले

न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। धारा 138 एन0आई0एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

12. **अजाक थाने से संबंधित प्रकरणों में रिमांड कार्य, जिले में विशेष न्यायालय का गठन होने से मात्र सार्वजनिक अवकाश के दौरान संपादित किये जायेंगे।**

13. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय <u>अभिलेख के साथ</u> संबंधित मामले की केस डायरी भी भेजी जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा **108, 80(2) बी.एन.एस.** के प्रकरणो में एफ.एस.एल. रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे **<u>तथा सभी अजमानतीय अपराध में यदि कोई जमानत आवेदन निरस्त होता है तो, उस दशा में आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न की जाये।</u>**

14. जिला मुख्यालय/तहसील स्तर पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का क्षेत्राधिकार होगा।

15. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावे।

16. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

17. **संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।**

18. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को प्राप्त हैं।

19. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित करते हुए, उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

20. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची कमांक 'ब' अनुसार किया जावेगा।

21. धारा 379 बी.एन.एस.एस. के न्यायिक जिला बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

22. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची क्रमांक 'अ' के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

23. इस न्यायिक जिला स्थापना पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रिक्त होकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होने पर उक्त न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट से उद्भूत प्रकरण एवं उनमें पारित निर्णय, की गई अपील के उपरांत प्रत्यावर्तन उपरांत सुनवाई हेतु एवं अन्य आवश्यक कार्य, विधिक कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की तिथि बढ़ाने और अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रभार इस कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025
अनुसूची–''अ''

01. जिला मुख्यालय बुरहानपुर व तहसील नेपानगर म.प्र. हेतु अनुसूची–'अ' के कॉलम नं. 02 में उल्लेखित सी.जे.एम. / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में अथवा अत्यावश्यक ड्यूटी में व्यस्त होने पर सूची अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रभारी अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य को निष्पादित करेंगे। इसके पश्चात् भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कि कॉलम नं. 3, 4, 5 व 6 के सभी न्यायिक अधिकारी अवकाश पर रहते हैं, तो कॉलम नं. 06 के पीठासीन अधिकारी का कार्य प्रभार देखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादित किया जावेगा, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

02. अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में ऐसे समस्त मामले भी शामिल होंगे, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में वह मामले सामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हो।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1.	श्रीमती सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	श्रीमती शीतल बघेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री राजू पद्रे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री भारत सिंह भॅवर, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर
2.	श्रीमती शीतल बघेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री राजू पद्रे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री भारत सिंह भॅवर, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्रीमती सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर
3.	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री भारत सिंह भॅवर, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्रीमती शीतल बघेल,जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्रीमती सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर
4.	श्री भारत सिंह भॅवर, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्रीमती शीतल बघेल,जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्रीमती सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर
5.	श्री रवि वर्मा जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्रीमती शीतल बघेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री भारत सिंह भॅवर, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्रीमती सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर
6.	श्रीमती रीना पिपलिया, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर **रिक्त न्यायालय**	उक्त न्यायालय के समस्त प्रकरण अंतरित किये जाने से उक्त न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित न होने के कारण चार्ज रिक्त रहेगा।			

(सरिता जतारिया) 2025
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

आ.क्र. 1925
दि. 09/05/25

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 की अनुसूची–''ब''

धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

अनुक्रमांक	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	आरक्षी केन्द्र :– **1. शाहपुर, कोतवाली एवं उनसे संबंधित चौकी।**	श्रीमती शीतल बघेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
2.	आरक्षी केन्द्र :– **1. लालबाग, गणपतिनाका एवं वन विभाग तथा उनसे संबंधित चौकी।**	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
3.	आरक्षी केन्द्र :– **1. नेपानगर, निंबोला (तहसील नेपानगर के क्षेत्रातर्गत मामलों में), खकनार एवं उनसे संबंधित चौकी।**	श्री भारत सिंह भँवर जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
4.	आरक्षी केन्द्र :– **1. शिकारपुरा, निंबोला(तहसील बुरहानपुर के अंतर्गत क्षेत्रों ग्रामों के संबंध में)एवं उनसे संबंधित चौकी।**	श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर

नोट: **1.** उपरोक्त कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में इस अनुसूची में वर्णित कार्य, अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

2. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में महिला फरियादी अर्थात पीड़िता की साक्ष्य यथासंभव महिला साक्ष्य लेखक/टंकणकर्ता द्वारा टंकित किया जायेगा।

3. इस अनुसूची 'ब' में वर्णित धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन लेने के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि अवकाश पर हो अथवा अन्यथा अनुपस्थित हो, तो उस दशा में अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन संबंधी कार्यवाही की जाएगी किंतु यदि वह प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसा हो कि जिसके न्यायालय में ही उस प्रकरण से संबंधित धारा 193 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक में है, तो उस दशा में अनुसूची ''अ'' के कालम में वर्णित अग्रिम (Next) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही इस प्रकार के मामले में संपन्न की जावेगी।

अनुमोदित।
9/5/25

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
2025

न्यायालय : श्रीमती सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक–(482(1))/आप./2025 बुरहानपुर,दिनांक : 08.05.2025

//आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025//

प्रतिलिपि :–

1. शीघ्रलेखक, श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।

2. श्रीमान् तृतीय/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।

3. श्रीमती शीतल बघेल, श्री राजू पन्द्रे, श्री भारत सिंह भँवर, श्री रवि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

4. कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर।

5. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि, कृपया समस्त थाना प्रभारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

6. जिला वन मंडलाधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

7. थाना प्रभारी, जी.आर.पी.खण्डवा की ओर सूचनार्थ।

08. कारखाना निरीक्षक, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

09. उप संचालक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग।

10. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म0प्र0 शासन बुरहानपुर।

11. जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

12. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

13. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

14. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

15. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. पंजीयन लिपिक, फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(श्रीमती सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बुरहानपुर